न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 7/2020 **दायर दिनांकः 06/08/2020**

उनवान

1. कमलेश उम्र 40 वर्ष पुत्री श्री सूरजमल जाति मीणा निवासी अरडाना तहसील अटरू जिला बारा हाल मुकाम दोलतपुरा तह0 बारां जिला बारां (राज०)।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

आदेश

दिनाकः 23/08/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है, कि ग्राम एवं माल चरडाना तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2071—2074 के खाता संख्या 59 की शामलाती ख0न0 205 का रकबा 0.69 है०, ख०न0 207 का रकबा 1.24 है०, ख०न0 208 का रकबा 0.05 है०, ख०न० 209 का रकबा 0.33 है०, ख0न0 2010 का रकबा 0.01 है०, ख0न0 2011 का रकबा 0.35 है0, ख0नं0 299 की 1.62 है0, ख0न0 46 का रकबा 0.18 है0, ख0नं0 48 की 0.36 है0 कुल 9 किता का रकबा 4.83 है० दर्ज खाता चली आ रही है। जमाबन्दी संवत 2071—2074 की नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। उक्त भूमि का इन्तकाल खोलते वक्त सहवन से प्रार्थीया का नाम जमाबन्दी में कमलेश के स्थान पर मांगी बाई दर्ज कर दिया जबकि उसका सही नाम कमलेश था प्रार्थीया का सही नाम कमलेश है फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में प्रार्थीया का नाम कमलेश ही है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मांगी बाई है। फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम कमलेश दर्ज होने से प्रार्थीया को काफी परेशानी का सामना करना पडता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:25 IST
Reason: SelfAttested

बैंक आदि से ऋण प्राप्त नही कर सकती है। किसी की जमानत आदि देने में भी असमर्थ है। प्रार्थीया ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मांगी बाई के स्थान पर कमलेश करने का निवेदन किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया और माननीय न्यायालय में दावा पेश करने की हिदायत दी है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम मांगी बाई के स्थान पर कमलेश दर्ज नही करा सकेगा। जिससे प्रार्थीया को अनेकानेक परेशानियों का सामना करना पडेगा। ऋण आदि प्राप्त नही कर सकेगा जिससे आर्थिक रूप से पिछड जायेगा। इस कारण प्रार्थीया इस आश्य की घोषणा करा पाने का अधिकारी है कि उसका नाम मांगी बाई के स्थान पर कमलेश राजस्व रिकार्ड में मांगी बाई उर्फ कमलेश दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जावे। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद घोषणा नाम संशोधन का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी बनाया जाकर यह वाद पेश किया गया है। प्रार्थीया कारण प्रथम बार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मांगी बाई दर्ज होने एवं प्रार्थीया द्वारा प्रतिवादी से मांगी बाई के स्थान पर कमलेश करने का निवेदन करने एवं उनके द्वारा दिनांक 15.06.2020 को साफ मना करने पर अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त रिकार्ड एवं पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। प्रार्थीया अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावेः–

(अ) राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम मांगी बाई के स्थान पर कमलेश घोषित किया जाकर जमाबन्दी में मांगी बाई के स्थान पर कमलेश दर्ज किया जावे विकल्प में निवेदन है कि मांगी बाई उर्फ कमलेश दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थीया को प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:25 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये की गई, अप्रार्थी को अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। साक्ष्य प्रार्थीया के अन्तर्गत PW_1 व PW_2 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड EXP करवाये गये। अभिभाषक प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थीया का नाम रिकार्ड अनुसार मांगी बाई के स्थान पर कमलेश राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम अरडाना की खाता संख्या 59 किता 9 रकबा 4.83 है0 में प्रार्थीया मांगीबाई पुत्री सूरजमल का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में प्रार्थीया का नाम कमलेश बाई व भारत निर्वाचन आयोग के परिचय पत्र में कमलेश दर्ज है।

अतः रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम अरडाना की खाता संख्या 59 किता 9 रकबा 4.83 है0 में प्रार्थीया सहखातेदार मांगीबाई के स्थान पर मांगीबाई उर्फ कमलेश दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:25 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां